(61)

न्यायालय समक्ष माननीय राजस्व मण्डल महोदय, केम्प भोपाल ग्वालियर म.प्र.

R · 3292 - PBR/14

प्र०क्र०......./निगरानी/13-14

लक्ष्मीबाई कुशवाह पत्नी श्री नारायण सिंह
कुशवाह निवासी-म.नं. 51/20, साउथ टी.टी.
नगर भोपाल.

............निगरानीकर्ता

विरूद्ध

01. **लोकेश सोनी** पुत्र स्व. श्री पूरन सोनी
स्थाई निवासी-बेतूल हालनिवास-म.नं. 26,
लाला लाजपत राय कालोनी एशबाग भोपाल.
02. **श्रीमती शांति सोनी** विधवा लोकेश सोनी
निवासी-म.नं. 26, लाला लाजपत राय
कालोनी एशबाग भोपाल.
03. म.प्र. शासन द्वारा ग्राम हल्का पटवारी
हल्का नं. 33, तहसील हुजूर भोपाल.

.......प्रतिप्रत्यार्थीगण

:: निगरानी अंतर्गत धारा 50 म०प्र०भू०रा०सं० 1959 ::

महोदय,

सेवा में यह निगरानी श्रीमान् अनुविभागीय अधिकारी तहसील हुजूर भोपाल द्वारा प्र.क्र. 1176/बी-121/13-14 (17/अ-6/13-14) में क्रमशः पारित अंतरिम आदेश दिनांक 14.08.14 से परिवेदित होकर प्रस्तुत की जा रही हैं ।

श्री. योगेन्द्र गुप्ता

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 3292-पीबीआर/14 [लक्ष्मीबाई / लोकेश सोनी] **जिला** भोपाल

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषक आदि के हस्ताक्षर
4-7-2018	उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों को सुना गया । आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी तहसील हुजूर भोपाल के आदेश दिनांक 14-8-14 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा अनुविभागीय अधिकारी ने तहसीलदार को ग्राम नीलबड़ तहसील हुजूर भोपाल के पंजी क्रमांक 36 आदेश दिनांक 21-5-14 के पुनर्विलोकन की अनुमति दी है । 2/ आवेदिका के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि उभय पक्ष प्रायवेट पक्षकार हैं और यदि कोई गलत आदेश पारित हो गया था तो अनावेदक क्रमांक 1 को उसके विरूद्ध सक्षम न्यायालय में अपील प्रस्तुत करना चाहिए था । यह भी कहा गया कि हितबद्ध पक्षकारों को बिना सुने पुनर्विलोकन की अनुमति नहीं दी जा सकती, जिस पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा कोई विचार नहीं किया गया है । अन्त में तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा बिना किसी आधार के युक्तियुक्त समय पश्चात पुनर्विलोकन की अनुमति दी गई है, जो निरस्त किये जाने योग्य है । 3/ अनावेदक क्रमांक 1 के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि पंजी पर पारित आदेश में अवैधानिकता पाये जाने पर तहसील न्यायालय द्वारा अनुविभागीय अधिकारी से पुनर्विलोकन की अनुमति प्राप्त की गई है । ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पुनर्विलोकन की अनुमति देने में कोई त्रुटि नहीं की गई है । 4/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्क के सम्बन्ध में अभिलेख का अवलोकन किया गया । शांति सोनी अनावेदिका क्रमांक 2 फर्जी होना प्रमाणित हुआ है । इस न्यायालय में भी अनावेदिका क्रमांक 2 को सूचना पत्र की तामीली नहीं हो पाई है । प्रथम दृष्टया स्पष्ट है कि दूसरे व्यक्ति की भूमि, उसे मृत बताकर विक्रय की गई है, जो कि गम्भीर आपराधिक कृत्य की श्रेणी आता है । अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष पुनर्विलोकन की अनुमति देने के ठोस एवं पर्याप्त कारण थे, अतः अनुविभागीय अधिकारी द्वारा सही पुनर्विलोकन की अनुमति दी गई है । चूंकि तहसील न्यायालय के समक्ष उभय पक्ष को सुनवाई का अवसर उपलब्ध है, अतः वह तहसील न्यायालय के समक्ष अपने पक्ष समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत कर सकते हैं । अध्यक्ष	